मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड

पत्रांकःडीजी–एएचटीसी–53 / 22 देहरादूनःदिनांकःसितम्बर 14 ,2022

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य सूचना आयुक्त, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या–34128 / 2022 श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में भिक्षावृत्ति पर नियन्त्रण हेतु प्रत्येक जनपद में **''भिक्षावृत्ति नियन्त्रण यूनिट'' (Anti Begging Unit)** का गठन किया जाता है।

यूनिट के दायित्वों का सम्पादन नोडल अधिकारी, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पर्यवेक्षण में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा किया जायेगा।

यूनिट का कार्य जनपद में धार्मिक / पर्यटक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि भीड़–भाड़ व सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति करने / करवाने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही करके भिक्षावृत्ति पर नियन्त्रण करना है।

पुलिस मुख्यालय स्तर पर ''भिक्षावृत्ति नियन्त्रण यूनिट'' (Anti Begging Unit) का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड के अधीन एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल द्वारा किया जायेगा।

14/9/2022

(डा0 वी0 मुरूगेशन)
अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध एवं कानून व्यवस्था,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः उप सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, रिंग रोड़, देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. पुलिस उप महानिरीक्षक कुमायूँ / गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
2. वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद / रेलवेज, उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner